न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 42/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/122

अनवान

1. केशु पिता पेमा गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. पारस पिता रूपा गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहन पिता मांगु गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता चम्पा गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगु पिता लालु गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोकल पिता माना गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धन्ना पिता माना गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. किशन पिता उमा गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उदयराम पिता गिरधारी गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. चम्पा पिता रामा गाडरी निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थी
2. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः– 16/2/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023 रकबा 0.08 है0 गै.मु. खड्डा, आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 78 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत की है।
2. प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमियों के चारों तरफ खेत बनाकर थोहरों की बाड़ कर रखी है और इस भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहा है। विपक्षीगण का प्रार्थी की उक्त भूमियों से कोई लेना देना नही है, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि पर विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर भूमियों को हड़पने का प्रयास करते है तथा जबरन प्रार्थी को खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी के थोहरो को बाड़ को काटकर नुकसान पहुंचा रहे है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक

हो गया है। प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को खातेदारी भूमि से बेदखल कर देने से एवं जबरन नुकसान पहुंचाने से अपूर्णीय क्षति होगी।

3. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण प्रार्थी के उपयोग–उपभोग कब्जे काश्त व आवागमन में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। प्रार्थी की भूमि से जबरन रास्ता कायम नहीं करावे। वादग्रस्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी को विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भी भु–भाग से थोहरो की बाड़ को काटकर या अन्य किसी भी रूप से नुकसान नहीं पहुंचावे एवं शान्ति पूर्वक भूमियों का उपयोग उपभोग करनें देवे व अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें व न अन्य से करावे।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता हरिश चन्द टेलर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

5. विपक्षी संख्या 1 लगायत 2, 4, 8, 10 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 2023, 2024 है जिसमे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व अन्य सहखातेदारान की आराजी संख्या 2025 रकबा 0.08 है0 गै.मु. आ.चाह अपनी आराजियात में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता ग्राम नान्दशा से खुटियां जाने वाले रास्ते की आराजी संख्या 1670 से प्रार्थी की आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 की दक्षिणी पाली पर स्थित 16 फीट चोड़े रास्ते से संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से अपने पूर्वजो के समय से शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व निरन्तर सुचारू रूप से चालु रहा है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2024 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण व अन्य कुएं के सह खातेदारान का पूर्वजो के समय से निरन्तर चला आ रहा है जिसे नाजायज रूप से प्रार्थी ने स्वयं ने रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से जेसीबी से खड्डा कर कांटे डालकर जाली लगाकर बंद कर दिया है व आवागमन के रास्ते से विपक्षीगण को अन्य को महरूम करने की गरज से ऐसा कृत्य किया है। जबकि आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी पाली पर हाल व साबिक नक्शा ट्रेस में डॉट–डॉट लाईन से निशानात रास्ते के रूप में स्पष्ट किया है। प्रार्थी ने मनमकसुद झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। रास्ते बाबत् विपक्षीगण व अन्य खातेदारान ने न्यायालय श्रीमान् में प्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत् पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 8/2021 है, उक्त प्रकरण दिनांक 02.09.2021 को अस्वीकार कर देने उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा के यहां जैर कार्यवाही है। विपक्षीगण वैधानिक रूप से रास्ता लेने की कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी ने जलील व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत, बेबुनियाद एवं आधारहीन व झुठे तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्व सव्यय खारीज फरमाया जावे।

6. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 2023, 2024 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के चारो ओर थोहर की बाड़ लगा कर फसल काश्त कर रखी है। विपक्षीगण प्रार्थी की आाराजियात में नुकसान कारित कर रास्ता कायम कराना चाहते है। विपक्षीगण के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के पश्चात धारा 188 का वाद दायर कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। विपक्षीगण का प्रार्थी की आराजियात से कोई लेना देना नही है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजियात पर नुकसान कारित किया जो दस्तावेजो से प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी मे है। प्रार्थना पत्र पहले पेश किया गया तथा रास्ते का आदेश बाद में जारी हुआ है। न्यायालय`स स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2021 को जारी किया गया था। आपराधिक प्रकरण पहले दर्ज हुआ है उसके 3 महिने बाद प्रकरण में निर्णय हुआ है। दिनांक 23.06.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद पेश किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद कोई और नुकसान नही किया। मूलवाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा दी जावे।

7. प्रकरण में विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने पूरी बहस आईपीसी का ही निवेदन किया है। धारा 251ए में विधिवत रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षीगण ने जबरन नुकसान कारित नही किया गया है। धारा 188 के साथ–साथ कोई अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर रखा हो तो उसे नजरंदाज नही किया जा सकता है। नक्शा में डोटेट लाईन दर्शा रखी है। स्थाई निशानात को सेटेलमेन्ट टीम अंकित करती है जिसको चुनौती नही दी गई है। वर्षो पुराना रास्ता सुखाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। धारा 251 मे पुराना रास्ता खोला जा सकता है। तीनो बिन्दु रास्ते पर अस्थाई निषेधाज्ञा होने से विपक्षीगण को नुकसान है। प्रार्थना पत्र मे रास्ते की जानकारी नही दी जा सकती है। प्रार्थी ने रास्ता बंद करने विवाद हुआ था। प्रार्थना पत्र में वैकल्पिक रास्ते का अंकन नही है। प्रार्थी के खातेदारी में रास्ते की भूमि है लेकिन रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सेटेलमेन्ट वर्ष 2000 में हुआ और रास्ता नीचे तक जा रहा है। आराजी संख्या 770 पुराने नम्बर है जिसमें रास्ते को डोटेअ कर रखा है। केवल रास्ते के लिए धारा 188, 212 लागु नही होती है। धारा 251ए पेश करने पर धारा 188 का वाद बाधित हो जाता है। वैकल्पिक रास्ते का अंकन कहीं नही है मामला सुखाधिकार का बनता है धारा 188, 212 का नही है। शेष भूमि के लिए लागु है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में है प्रार्थी फसल काश्त कर रहा है।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी के अनुसार यह स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजियात प्रार्थी की खातेदारी आराजियात है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी कृषि आराजियात में विपक्षी को दखलदांजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी का विपक्षीगण के विरूद्व अपनी कृषि आराजियात पर अस्थाई

निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यहां इस तथ्य को संज्ञान में लेना आवश्यक है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 21/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में अनवान चम्पा पिता रामा गाडरी वगैरा बनाम केशु पिता पेमा गाडरी विचाराधीन था जिसमें प्रार्थी की आराजी संख्या 2024 से रास्ता चाहा गया था उसका निर्णय दिनांक 09.02.2026 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 21/2021 के निर्णय की हद तक अप्रभावी रहते हुए स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2023 में अंकित हिस्से एवं आराजी संख्या 2024 में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 21/2021 के निर्णय से अप्रभावित रहते हुए प्रार्थी की भूमि मे विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पांबद किया जाता है कि प्रार्थी के उपयोग–उपभोग कब्जे काश्त व आवागमन में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें एवं शान्ति पूर्वक भूमियों का उपयोग उपभोग करनें देवे व अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें व न अन्य से करावे। तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16/2/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला–पीपलवाड़ा